

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to establish and incorporate a teaching and affiliating University for the hill areas of the North-Eastern region."

The motion was adopted.

PROF. S. NURUL HASAN: Sir, I introduce the Bill.

12.13 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(1) INADEQUATE SUPPLY OF FOODGRAINS TO MAHARASHTRA

MR. SPEAKER: Dr. Kailas.

DR. KAILAS (Bombay South): Mr. Speaker, I wish to raise the following matter of urgent public importance under rule 377 of the Rules of Procedure.

The food supply position in Maharashtra in general and in Bombay in particular is very precarious, and the rationing has broken down in Bombay. The quantity of wheat and rice supplied in Bombay is only seven ounces per week which lasts only for two days though it is supposed to last for one week. It is unfortunate that the people wanting jowar, bajra and maize to supplement the reduced quantum are not supplied the same. Therefore, starvation deaths and food riots may take place. Maharashtra had demanded, 2,83,000 tonnes of wheat in March, in addition to 36,000 tonnes for inaccessible areas for being used in rainy season, but the Government of India though allotted 1,81,000 tonnes but actually supplied only 1,67,091 tonnes.

If this demand of 36,000 tonnes is not supplied within ten days in inaccessible areas, as the monsoon starts in the first week of June, there will be a large number of starvation deaths in the areas which are populated by Adivasis and economically very much backward people. If the required quantity asked by Maharashtra is not allotted and supplied by the Government of India, violent food riots will

take place in Bombay, Poona, Sholapur, Kolhapur and such other cities where people are very much agitated. I demand that immediate arrangements should be made by the Government of India to allot and supply the required quantity of foodgrains to Maharashtra without any further delay.

श्री भटल बिहारी बाजपथी (ग्वालियर)

महागाढ़ की स्थिति कितनी गम्भीर है इस की झार कांग्रेस सदस्य भी संकेत कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कहिये, उनकी बात छोड़ दीजिये।

SHRI K. S. CHAVDA (Patan): Same condition is prevailing in Gujarat also. The hon Minister should make a statement regarding all States.

MR. SPEAKER: Yes, he may make a comprehensive statement.

(1) Re HOME MINISTERS STATEMENT ABOUT ANAND MARGIS IN A PRESS CONFERENCE.

श्री भटल बिहारी बाजपथी (ग्वालियर)

अध्यक्ष महोदय, आप की दृष्टि में मैं नियम 377 के अन्तर्गत एक प्रश्न का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। शुक्रवार को आनन्द मार्ग के मन्त्रालय में एक काल अटेंशन मोशन था। गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री श्री कृष्ण चन्द्र पन्त ने उसका उत्तर दिया था। चर्चा के दौरान मैंने तथा कांग्रेस के एक सदस्य ने भी माग की थी कि आनन्द मार्ग की जो भी गतिविधियाँ हैं उनके बारे में मदन की विश्वास में लिया जाये और वह जानकारी मदन के पन्त पर रक्खी जाये। लेकिन श्री पन्त ने कहा कि सी बी आई की रिपोर्ट रखने का तो प्रश्न ही नहीं है। सारी चीजें कोर्ट में चल रही हैं। सारी चीजें मामले में माननीय श्री हरी सिंह, कांग्रेस सदस्य, ने जो कहा उसको मैं उद्धृत करना चाहता हूँ :

“तीसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो आनन्दमार्गियों की ऐक्टिविटीज हैं इनका एक विज्र तैयार करके पालियामेंट के पटल पर रखना चाहिये।”

इस के जवाब में श्री पन्त ने कहा :

“जहाँ तक आनन्द मार्ग की तस्वीर ससद् के सामने रखने की बात है, अब तो सारे देश के सामने यह तस्वीर आ रही है, और खुले कोर्ट में यह कैसे चल रहा है। इस लिये सारी चीजें सामने आगयीं और मुझे विश्वास है कि उम में जो माननीय सदस्य चाहते हैं वह काम भी पूरा हो जाएगा।”

आप को स्मरण होगा कि उस दिन गृह मंत्री श्री उमा शंकर दीक्षित सदन में मौजूद थे। वह चाहते तो आनन्द मार्ग के सम्बन्ध में सदन को विश्वास में ले सकते थे लेकिन ससद् में उन्होंने मौन धारण कर लिया और ससद् के बाहर जा कर उन्होंने प्रेस काफरेस बुलाई और उममें आनन्द मार्ग के बारे में एक लम्बा चौड़ा वक्तव्य दिया जिस में यह कहा गया कि आनन्द मार्ग हिमा में विश्वास करता है, आनन्द मार्ग डिक्टेटरशिप लाना चाहता है। यह भी कहा कि आनन्द मार्ग विदेशों से पैसा ले रहा है। मेरा निवेदन है कि यह एक औचित्य का प्रश्न है। अगर गृह मंत्री सदन में मौजूद थे, और आप जानते हैं कि थे, तब उन्हें जो कहना था वह पालियामेंट में कहना चाहिये था न कि प्रेस काफरेस बुला कर गृह मंत्री वक्तव्य देते फिरे। यह मंत्री महोदय को शोभा नहीं देता और इस ससद् की मर्यादा के भी अनुकूल नहीं है।

मेरा आप से निवेदन है कि आप गृह मंत्री को बुलाइये और उनको बोड़ी ही झिड़की दीजिये। जो मामला पालियामेंट में आता है उसके बारे में पालियामेंट में बोलना ज्यादा उचित है, प्रेस काफरेस बुला कर वक्तव्य देना उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय जब भी किसी मिनिस्टर को ब्राड क्वेश्चन आफ पालिसी अनाउंस करना हो और हाउस बैठा हो तब उसको यहाँ आना चाहिये, लेकिन जो डे टु डे इस तरह की बातें होती रहती हैं, ऐडमिनिस्ट्रेटिव या दूसरी तब उसकी जरूरत नहीं है। और मेरा खयाल है वह यहाँ बैठे हुए नहीं थे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी मैं जानता हूँ बैठे थे।

अध्यक्ष महोदय बैठे थे ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी जहाँ इस समय राज बहादुर विराजमान है वहाँ वह विराजमान थे। (अध्यक्षान) वज्राय इस के कि वह पालियामेंट में कुछ बहे उन्होंने बाहर कहा। यह औचित्य का प्रश्न है प्रोप्रायटी का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय आनन्द मार्ग के सम्बन्ध में बाहर तो झगडा होगा टम हाउस में भी वह रोज आ घुसना है। आनन्द मार्ग है क्या, आप किसी दिन मुझ को बतलायें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी मैं आनन्द मार्गों नहीं हूँ मैं मध्यम मार्गों हूँ।

अध्यक्ष महोदय मैं नहीं मान सकता कि कोई वंचलर आनन्द मार्गों नहीं होता है।

12 20 hrs

FINANCE BILL, 1973

THE MINISTER OF FINANCE
(SHRI YESHWANTRAO CHAVAN):
Sir, I beg to move:

“That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 1973-74 be taken into consideration.”